भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2508
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

नए आपराधिक कानून-पुलिस का उत्तरदायित्व

2508. श्री सौमित्र खानः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए कानूनों में पुलिस का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और
(ख) यदि हां, तो पुलिस जांच में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संबंध में क्या उपबंध किये गये हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के प्रावधान, जिनसे पुलिस की पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ी है, निम्नानुसार हैं:-

(1) बीएनएसएस की धारा 37(ख) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक जिले एवं प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम सहायक पुलिस निरीक्षक के रैंक का एक नामित पुलिस अधिकारी होगा, जो गिरफ्तार व्यक्तियों के ब्यौरे आदि के रखरखाव और आम जनता को इसकी सूचना देने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) बीएनएसएस की धारा 82(2) में यह प्रावधान है कि जिले के बाहर जारी वारंट के तहत गिरफ्तारी के मामले में, गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी एवं गिरफ्तार व्यक्ति को रखे जाने के स्थान के बारे में तत्काल सूचना नामित पुलिस अधिकारी एवं दूसरे जिले के ऐसे पुलिस अधिकारी को देगा, जहां गिरफ्तार व्यक्ति मूल रूप से रहता है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 2508 दिनांक 06.08.2024

(3) बीएनएसएस की धारा 105 में यह प्रावधान है कि तलाशी एवं जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तथा पुलिस अधिकारी ऐसी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को बिना देरी किए भेजेगा। बीएनएसएस की धारा 185 में यह भी प्रावधान है कि तलाशी की रिकॉर्डिंग ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी और ऐसे किसी भी रिकॉर्ड की प्रतियां अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट को 48 घंटे के भीतर भेजी जाएंगी।

(4) बीएनएसएस की धारा 176(2) में यह प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी को दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को हर पखवाड़े भेजनी होगी।

(5) बीएनएसएस की धारा 176(3) में यह प्रावधान है कि सात वर्ष से अधिक कारावास की सजा के प्रावधान वाले अपराधों के मामले में अपराध स्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है।

(6) बीएनएसएस की धारा 193 में यह प्रावधान है कि पुलिस रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम का ब्यौरा भी शामिल होना चाहिए। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी को जांच की प्रगति के बारे में जांच के 90 दिनों के भीतर सूचना देने वाले व्यक्ति अथवा पीड़ित व्यक्ति को अनिवार्यत: सूचित करना होगा। इसके अतिरिक्त, इस धारा में यह भी प्रावधान है कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, यदि आगे की जांच की आवश्यकता है, तो इसे 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा और 90 दिनों से अधिक की समयावधि का कोई भी विस्तार केवल न्यायालय की अनुमति से ही होगा।
